

भारतीय उच्चतम न्यायालय

क्रिमिनल अपीलेंट क्षेत्राधिकार

क्रिमिनल अपील संख्या. 2100/ 2008

कृपाल सिंह

..... अप्पेलांट

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोंडेंट

निर्णय

रस्तोगी जस्टिस.

1. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच के द्वारा पारित किये गए फैसले और आदेश दिनांक 4 फरवरी, 2008 के खिलाफ दायर की गई, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के तहत व निर्णय दिनांक 22 नवंबर, 2004 विद्वान् विचारण न्यायालय के तहत की गयी ।
2. अभियोजन मामले के अनुसार संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 28 जुलाई, 2001 को शाम 9.15 बजे मुखबिर सुनील

कुमार गोयल (PW13) ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-P1) पुलिस स्टेशन डुग में प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया था कि लगभग 6.30 बजे वह अपने भाई यशवंत और पारस मल के साथ मोटर साइकिल नंबर RJ 20 8M 9309 पर उनके कृषि फार्म जो की गाँव दुधलाई में स्थित है जा रहा था । यशवंत ड्राइविंग सीट पर था , पारस मल (PW1) मध्य में था और मुखबिर सुनील कुमार गोयल (PW13) पीछे की सीट पर बैठा था। जब वे वापस लौट रहे थे तो धौले सिंह के घर के पास उनकी मुलाकात आरोपी कृपाल सिंह , रामलाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह से हुई । चारों कुल्हाड़ी, लाठी, डहरिया, तलवार और फरसा से लैस थे, उन्होंने अपनी मोटर साइकिल से घेर लिया और उन यशवंत को मार डालने का आह्वान किया । मुखबिर सुनील कुमार गोयल (PW13) और पारस मल (PW1) नीचे उतरे और खुद को दूर कर लिया लेकिन यशवंत ऐसा नहीं कर सका और बुरी तरह पिट गया। सभी हमलावर ने कुल्हाड़ी, धारिया, तलवार, फरसा और लाठी से यशवंत पर वार किया । उन्होंने मुखबिर सुनील कुमार गोयल (PW13) और पारस मल (PW1) को भी मारने का प्रयास किया जब वे अपने जीवन के लिए भाग रहे थे । कृपाल सिंह ने उनका पीछा किया व

पारस मल (PW1) के बाएं कंधे पर कुल्हाड़ी से वार किया। सुनील कुमार गोयल (PW13) द्वारा की गई शिकायत पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-P2) पंजीकृत की गयी । मृतक यशवंत का शव परीक्षण किया गया। शुरू में, सभी चार आरोपी कृपाल सिंह, राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया गया और अनुसन्धान पूरा होने पर आरोप पत्र दायर किया गया था और धारा 302, 394, 394/34, 324 या 324/34 IPC के तहत आरोप लगाया गया जिन्होंने आरोपों का खंडन किया और अनिवीक्षा चाही । अभियोजन प्रकरण के समर्थन में 24 गवाहों को परीक्षित कराया । अपीलार्थी ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत स्पष्टीकरण में निर्दोषता का दावा किया , बचाव में तीन गवाहों को परीक्षित कराया गया और सुनवाई के बाद विद्वान् अन्वेक्षण न्यायालय ने राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह को बरी किया और अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 , 204, 394 और 324 आई.पी.सी. के तहत उसे सजा सुनाई । आरोपी अपीलार्थी ने सजा के खिलाफ अपील की और राजस्थान राज्य ने बरी किया गए अन्य तीनों आरोपियों के खिलाफ अपील की, विचारण न्यायालय

के निर्णय दिन। क फरवरी 4, 2008 की पुष्टि करते हुए दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया ।

3. उक्त निर्णय के विरुद्ध, विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की गई है।
4. श्री सुशील कुमार जैन, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी की तरफ से व सुश्री रूचि कोहली विद्वान् अधिवक्ता को राज्य की तरफ से सुना गया ।
5. श्री सुशील कुमार जैन विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य तर्क था की, सुनील कुमार गोयल (PW-13) एकमात्र चश्मदीद गवाह था जिसके बयान के आधार पर अपीलार्थी को सजा सुनाई गयी व वर्तमान अपीलकर्ता से जो चोट मृतक यशवंत के सिर पर कारित करना मना गया है वह उसके मृत्यु का एकमात्र कारण डॉ भूपेश PW6 और डॉ रमेश चंद्र खटीक PW-7 के बयान के अनुसार नहीं है और आगे तर्क दिया है की अन्य तीन आरोपी व्यक्ति राम लाल, अर्जुन और सुल्तान सिंह के बरी होने के बाद जिन्होंने भी मृतक यशवंत के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें कारित की थी, तो ऐसी परिस्थिति में अकेले अपीलार्थी को घातक चोट कारित करने के लिए जिम्मेदार ठहरा कर

धारा 302 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता , ज्यादा से ज्यादा असको धारा 304 भाग I या II IPC के तहत दोषीसिद्ध किया जा सकता है।

6. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल सुनील कुमार गोयल PW13 के बयान पर आधारित है जबकि इसके बयानों पर विद्वान् विचरण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने आरोपी राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह के लिए अविश्वसनीयता मना है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तीनों सह आरोपी राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह को विभिन्न कारणों की वजह से गलत तरीके से फंसाया गया है व तीनों सह आरोपियों की उपस्थिति PW 13 सुनील कुमार गोयल जो की एक रुचिकर अविश्वसनीय साक्षी है के बयानों के आधार पर घटना के समय संदिग्ध है इसलिए उसके कथन पर, कम से कम अपीलार्थी को दोषी मानकर धारा 302 में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

7. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि का एकमात्र आँखों देखी गवाही PW13 सुनील कुमार गोयल के बयानों पर अन्यथा भी धारण नहीं की जा

सकती योकि अभियोजन के मामले का भौतिक भाग जो की घटना के संबंध व चोटों को विभिन्न तथाकथित अभियुक्त राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह से जोड़े जाने के संबंध में है उसे अविश्वसनीय माना गया है व घटना की उत्पत्ति पर भी अविश्वास किया गया है और इन परिस्थितियों में विद्वान् विचारणीय न्यायालय व उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि अपीलार्थी PW13 जिसकी एकमात्र गवाही पर विश्वास नहीं किया गया था । विद्वान् विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय अपीलार्थी की सजा कायम रखने की गंभीर त्रुटि की है जिसका एकमात्र श्रोत्र PW13 की गवाही है जिसके कथित रूप से अभियोजन मामले के भौतिक भाग पर विश्वास नहीं किया गया था जिसकी प्रथम सुचना रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से पुष्टि हुई है और इसके समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी हरि किशन बनाम हरियाणा राज्य 2010 (2) एससीसी 131 और अरशद हुसैन बनाम राजस्थान राज्य 2013 (14) एससीसी 104 और प्रस्तुत करता है कि एक बार अभियोजन की कहानी का पर्याप्त हिस्सा अविश्वास किया जा चुका है और अपीलकर्ता की सजा केवल सुनील कुमार गोयल (PW13) की गवाही पर टिकी हुई है जिसके बयान अन्यथा विश्वसनीयता खो चुके हैं तो यह

पर्याप्त नहीं होगा की धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाये, आगे तर्क दिया है कि मौत का कारण सभी अभियुक्तों द्वारा करित छोटी चोटों के लिए सामान्य है जिसमे से तीन, राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह को बरी किया जा चुका है और डॉ भूपेश दयाल (PW6) के बयान में तथा डॉ रमेश चंद्र खटीक (PW7) के बयान में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक यशवंत की मौत का कारण सदमे के कारण हुई, रक्तस्राव के कारण हुई, जिससे मस्तिष्क में आई चोटों के कारण हुई, जो पोस्टमॉर्टम (प्रदर्श-33) में भी दर्ज किया गया है. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि घातक चोट अपीलकर्ता द्वारा करित कि गयी है और उसे धारा 302 आई.पी.सी. के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था.

8. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि फर्द बरामदगी कुल्हाड़ी (प्रदर्श-40) धोती (प्रदर्श -36) व मोटर साइकिल (प्रदर्श-51) बिना किसी स्वतंत्र गवाह के पुलिस कर्मियों द्वारा प्रमाणित कि गयी है पीडब्लू 15 धरा सिंह और पीडब्लू 22 रघुवीर सिंह कुल्हाड़ी के लिए और बर्डी चंद , SHO (PW-20) और शफीक मोहम्मद (हेड

कांस्टेबल) PW-23 मोटर साइकिल की बरामदगी प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया गए है व पुलिस कर्मियों द्वारा दिया गए बयानों के संबंध में स्वतंत्र गवाह होने की उपधारणा धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती ।

9. प्रतिवादी कि विद्वान् अधिवक्ता सुश्री रूचि कोहली ने तर्क दिया है कि सरकार ने दोषमुक्त हुए अभियुक्तों के विरुद्धा कोई अपील प्रस्तुत नहीं कि है परन्तु अपीलार्थी के विरुद्धा अभियोजन पक्ष द्वारा नियत किए गए साक्ष्य पर प्रकाश डाले तो अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिका है, व उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि व अपील खारिज करने के निर्णय मई कोई त्रुटि नहीं की गई है विद्वान् अधिवक्ता ने कहा कि की प्रत्यक्षदर्शी गवाह सुनील कुमार गोयल (PW13) कि गवाही विश्वसनीय है व वह उसकी प्रतिपरीक्षा में भी खंडित नहीं हुई है जिसकी चर्चा विचारण न्यायालय व साथ ही उच्च न्यायालय ने विस्तार से की है और आगे साक्ष्य कि पुनः छंटनी की जरूरत नहीं है आगे कथन किया है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह सुनील कुमार गोयल (PW13) के कथनो कि पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य PW6 डॉ भूपेश दयाल और PW7 डॉ रमेश चंद्र खटीक, जिन्होंने मृतक यशवंत के शव का परिक्षण

किया था और जिन्होंने अपने प्रति परिक्षण में कहा है कि मृतक यशवंत को आरोपी अपीलकर्ता द्वारा करित चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है । विद्वान् अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है हालाँकि घायल पारस मल पक्षद्रोही हुआ है पर फिर भी यह अभियुक्तों की उपस्थिति व सुनील कुमार गोयल (PW13) का बयान साबित करता है कि आरोपी ने मृतक यशवंत को उसके सिर पर मारा और पारस मल (PW1) के कंधे पर चोट करित की जिसका समर्थन रिकॉर्ड पर आयी चिकित्सा साक्ष्य व चिकित्सा गवाह की पुष्टि से है , कुल्हाड़ी (प्रदर्श) कि बरामदगी अभियुक्त अपीलकर्ता के इशारे पर उसके से धारा सिंह और रघुवीर सिंह (PW22) द्वारा साबित है व और मृतक की मोटरसाइकिल की बरामदगी कि पुष्टि बिरधी चंद SHO (PW20) द्वारा & शफीक मोहम्मद (प्रमुख कांस्टेबल) (PW23) उनके संबंधित बयानों में की गई है और केवल क्योंकि वे पुलिस के गवाह हैं, उनके गवाही माने जाने योग्य नहीं है और निर्णय बलदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015 (17) एस.सी.सी. 554 और गिरजा प्रसाद (मृत) राज्य के एम.पी. 2007 (7) SCC 625 में निर्भरता रखी है और उच्च न्यायालय के अपीलार्थी कि सजा बरकरार रखने के निर्णय के समर्थन किया है

10. दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों कि सराहना करने के लिए , प्रथम सुचना रिपोर्ट (प्रदेश) जो कि सुनील कुमार गोयल (PW13) द्वारा कराई गई है के अवलोकन जरूरी है जो निम्नानुसार है:

"आज लगभग शाम 6.30 बजे हमेशा की तरह शाम को मेरे बड़े भाई यशवंत कुमार, पारसमल जी पुत्र श्री शोभमाल जी और मैं अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल में, जिसकी संख्या **RJ208M** है **9309** और जिसकी पीछे वाली नंबर प्लेट पर लव अंग्रेजी में लिखा है, हम तीन हमारे दुधलाई गाँव के कृषि फार्म देखने के लिए गए थे . वहां रहने के बाद लगभग एक घंटे बाद जब हम दुधलाई गाँव से होकर वापस आ रहे थे तो हमारी इन चार व्यक्तियों से मुलाकात हुई जिनके नाम १. कृपाल सिंह पुत्र थान सिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, २ रामलाल पुत्र अनार सिंह जी , जाति राजपूत, निवासी मांडपुर, 3. अर्जुन सिंह पुत्र भरु सिंह , जाति राजपूत, निवासी पाडला , 4. सुल्तान सिंह, पुत्र भेरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सामने पाडला दले सिंह का घर। कृपाल सिंह के पास कुल्हाड़ी थी और रामलाल के साथ एक लाठी धरिया से लैस थी सुल्तान सिंह तलवार से और

अर्जुन सिंह फरसा लेस था. हमें देखते ही उन्होंने कहा कि आज यशवंत सिंह को जिन्दा नहीं जाने देंगे । आज एक अच्छा अवसर मिला है यह कहते हुए ये चारों ने हमें घेर लिया । यह देख पारस और मैं मोटरसाइकिल से नीचे उतर गए । जब मेरे भाई यशवंत जी, जो मोटर साइकिल चला रहा था उसने नीचे उतरने की कोशिश की तो कृपाल सिंह ने उसकी सिर पर कुल्हाड़ी मार दी. उसके बाद रामलाल ने लाठी जिसमे धारिया था बाईं आंख के ऊपर और अर्जुन ने तलवार से उसकी गर्दन के ऊपर वार किया । सुलतान सिंह ने सिर पर फरसा से लैस लाठी से वार किया। जबकि हम वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिर हम वहां से भाग गए। भागते समय कृपाल सिंह ने अपनी कुल्हाड़ी से वार कर दिया पारसमल जी के बाएं कंधे पर । हम दोनो जान बचाने के क्रम में खेत की ओर भागे तो , कृपाल सिंह ने मेरी मोटरसाइकिल ले ली और हमारा पीछा किया। अंधेरे में हमने खुद को खेतों में छिपा लिए । कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया । हमने वहां जाकर देखा की मेरे भाई यशवंत की मृत्यु उसके शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण हो गई थी । उन चार व्यक्तियों ने मेरे भाई यशवंत को मार डाला और मेरी हीरो

होंडा मोटरसाइकिल नंबर आरजे 8 एम 9309 ले गया,
जिसका रंग मरून है। इस व्यक्ति ने हमारी पुरानी भूमि के
संबंध में शत्रुता के कारण यह आपराधिक कृत्य किया ।
हमारी रिपोर्ट उपयुक्त कार्यवाही के लिए प्रस्तुत की गई है
।”

11. सुनील कुमार गोयल (PW13) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सुचना
रिपोर्ट की सामग्री की जांच करने पर यह स्पष्ट है की 28
जुलाई, 2001 को लगभग 6.30 बजे मुखबिर सुनील कुमार
गोयल (PW13) अपने भाई यशवंत और पारस मल के साथ
मोटर साइकिल पर उनके कृषि फार्म, जो की गाँव दुधलाई में
स्थित है, से वापस आ रहा था । तो उनकी मुलाकात वर्तमान
आरोपी अपीलार्थी व रामलाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह
से धूल सिंह के घर के पास हुई । चारों कुल्हाड़ी, लाठी,
डहरिया, तलवार और फरसा से लैस थे, मुखबिर सुनील
कुमार गोयल (PW13) और पारस मल (PW1) नीचे उतरे
और खुद को दूर कर लिया लेकिन यशवंत ऐसा नहीं कर
सका और आरोपियों ने कुल्हाड़ी, डहरिया, तलवार, फरसा
और लाठी से यशवंत पर वार किया । आरोपी अपीलकर्ता ने
पारस मल (PW1) का पीछा किया और उसके कंधे पर

कुल्हाड़ी से वार किया। विश्लेषण सबूत रिकॉर्ड पर आए और बाद में विचारण न्यायालय ने सुनवाई के बाद अन्य आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिनका नाम राम लाल, अर्जुन सिंह और सुल्तान सिंह है और वर्तमान अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी मानकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई व अपीलकर्ता द्वारा कि गयी अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 2008 पारित किया गया है ।

12. इससे पहले की हम प्रतिद्वंद्वी सबमिशन की जांच करने के लिए आगे बढ़ें , पोस्टमॉर्टम पर ध्यान देना उचित होगा जो की मृतक यशवंत के शरीर का किया गया जो निम्नानुसार है:

1. इंसीसेड घाव 4"x 2" x ग्रीवा कशेरुक गहरा ओक्रोपेगस ट्रेकिआ और सीएस कशेरुक ट्रैक्टमेंड पर मौजूद है थायराइड क्षेत्र के स्तर पर गर्दन के पूर्वकाल पक्ष।
2. इंसीसेड घाव 3" x 2" x मासपेशी गहरा जो की गर्दन कि दाहिनी तरफ है ।
3. इंसीसेड घाव 2 ½ " x 1" x मासपेशी गहरा जो की दाहिनी कंधे की तरफ है ।

4. इंसीसेड घाव 7" x 1" मासपेशी गहरा जो कि गर्दन के नीचे की तरफ टीरिऑड रीजन के ठीक नीचे है ।
5. इंसीसेड घाव 6" x 1 ½" मासपेशी गहरा जो की बाएं अनिवार्य के रामस के नीचे है ।
6. इंसीसेड घाव 3" x 1" x मस्तिष्क के बाईं ओर गहरा है माथे के किनारे की बाईं आंख की भौंह के ऊपर, हड्डी कटी हुये है और मस्तिष्क की बात मौजूद है।
7. इंसीसेड घाव 4" x 1 ½" x मस्तिष्क पर गहरा टिका हुआ है खोपड़ी, हड्डी में कटौती और मस्तिष्क के बाएं पार्श्विका क्षेत्र का तत्त्व मौजूद है।
8. इंसीसेड घाव 2 ½" x 1" x हड्डी पर गहरी निरंतरता खोपड़ी की हड्डी में कटौती और मस्तिष्क का सही अस्थायी क्षेत्र तत्त्व मौजूद है।
9. इंसीसेड घाव 1 ½" x ½" x मस्तिष्क गहरा पर टिका हुआ है दाहिने कान का ऊपरी आधा हिस्सा। मास्टॉयड प्रक्रिया में कटौती और मस्तिष्क पदार्थ उपस्थित।
13. हम यह भी पाते हैं कि पारस मल (PW1)मुखबिर सुनील कुमार गोयल (PW13) से संबंधित है। अपीलार्थी के खिलाफ

आरोप लगाया है की उसने मृतक यशवंत और पारस मल (PW1) को चोटें पहुंचाई और मृतक यशवंत की मोटर साइकिल ले कर भाग गया । जो की बिरधी चंद SHO गंगानगर P.S. (PW - 20) और शफीक मोहम्मद, हेड कांस्टेबल (PW-23) की उपस्थिति में बरामद की गई कुल्हाड़ी (प्रदर्श -40) धरा सिंह, कांस्टेबल (PW-15) तथा रघुवीर सिंह (PW-22) की उपस्थिति में बरामद हुई' हालांकि पारस मल (PW1) जिसको घटना में चोट आयी उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया जिसको अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । लेकिन उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR) इंगित करती है की वह वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कथित घटना में घायल हुआ था ।

14. श्री सुशील कुमार जैन विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बल दिया गया की अपीलार्थी द्वारा केवल एक चोट मृतक यशवंत के सर पर करित किया जाना बताया है जो उसकी मृत्यु का एकमात्र कारण नहीं है और जब सुनील कुमार गोयल (PW-13) के बयान को आंशिक रूप से सह अभियुक्तों के सन्दर्भ में अविश्वसनीय माना है जो कि सक्रिय रूप से अपराध कारित करने में शामिल थे और जिनको

विद्वान् विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है व उच्च न्यायालय ने भी राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल अपील को खारिज कर इसकी पुष्टि की है , इसी तरह इसी साक्ष्य पर अपीलार्थी को दोषी घोषित कर धारा 302 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

15. हमने प्रथम सुचना रिपोर्ट व उच्च न्यायालय के निष्कर्ष जिसमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में बरकरार रखा है उसका अवलोकन किया, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं वह सुनील कुमार गोयल (PW-13) परिवादी व मुखबिर की है। सुनील कुमार गोयल PW-13 के बयानों का अवलोकन करने से यह पाया गया है की उसके द्वारा जो भी तथ्य प्रथम सुचना रिपोर्ट में दिए गए थे, जब वो दर्ज करवाई गयी थी, उनका समर्थन किया गया है तथा PW-13 के कोर्ट बयान भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप है, दूसरे शब्दों में, उसने जो प्रथम सुचना रिपोर्ट में कहा है वह दोहराया है । उसके द्वारा विशेष रूप से बयान दिया गया है की 28.07.2001 को समय 6.30 सायं काल वह अपने भाई पारसमल PW-1 व मृतक यशवंत के साथ मोटर साइकिल पर अपने कृषि फार्म जो की

ग्राम दुधली में स्थित है वहाँ से लौट रहा था और जब वह लोग अपनी मोटरसाइकिल पर वापस लौटते समय धूलि सिंह के घर के पास पहुंचे तो उन्हें कृपाल सिंह अपीलार्थी व उसके 3 अन्य साथी रामलाल , अर्जुन सिंह व सुल्तान सिंह मिले । आरोपी अपीलार्थी के पास एक कुल्हाड़ी थी जिससे उसने मृतक यशवंत के सर पर वार किया व वापस लौटते समय आरोपी अपीलार्थी ने पारसमल PW-1 के कंधे पर उस कुल्हाड़ी से वार किया । कुल्हाड़ी व मृतक यशवंत की मोटर साइकिल की बरामदगी का समर्थन धारा सिंह PW-15 व रघुवीर सिंह PW-22 द्वारा किया गया व उसकी चोट का समर्थन डॉ भूपेश दयाल PW6 व डॉ रमेश चंद्र खटीक PW-7 के द्वारा किया गया, जिन्होंने मृतक यशवंत के शरीर का पोस्टमॉर्टेम किया था. डॉक्टरों के बयान हमारे समक्ष पढ़े गए जिसमे उन्होंने माना है की सभी चोट मृतक के मृत्यु पूर्व की है , चोट संख्या 1 जो की गले पर कारित की गयी है , व अन्य चोट जो घायल के सर पर कारित की गयी है जो की अलग से उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । सुनील कुमार गोयल PW-13 के बयानों के अनुसार मृतक के सर की चोट आरोपी अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी से कारित की गई है, अभियोजन द्वारा वर्तमान आरोपी अपीलार्थी के विरुद्ध

प्रकरण संदेह से परे साबित किया गया है की मृतक के सर की चोट आरोपी अपीलार्थी द्वारा कारित की गयी है जो कि अपने आप में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । यह निष्कर्ष ही विद्वान् विचारण न्यायालय ने दिया है और जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने अपील में की है । हम भी इस बात को मानते है की अभियोजन ने अपीलार्थी के मामले को साबित किया है व सह आरोपी रामलाल , अर्जुन सिंह व सुल्तान सिंह को झूठे फसाये जाने की संभावना के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी के मामले को किसी तरह खारिज नहीं किया जा सकता व अभियोजन ने संदेह से परे उसे दोषी साबित किया है । यह हमारे द्वारा अनुचित होगा अगर हम यंत्रवत् रूप से इस तरह के साक्ष्य को एकमात्र इस कारण अस्वीकार करे की उसका विभाजन न्याय की विफलता का कारण होगा । इसका कोई नियम नहीं है की कितनी साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए परन्तु यह आवश्यक है की न्यायिक दृष्टिकोण में साक्ष्य सराहना करते समय सतर्कता बरती जाए। परन्तु यह दलील की ऐसी साक्ष्य को खारिज करना चाहिए क्योंकि वह विभाजित है ऐसी दलील को सही मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

“ 12. Stress was laid by the accused appellants on the non-acceptance of evidence tendered by some witnesses to contend about desirability to throw out the entire prosecution case. In essence, prayer is to apply the principle of *falsus in uno falsus in omnibus* (false in one thing, false in everything). This plea is clearly untenable. Even if a major portion of evidence is found to be deficient, in case residue is sufficient to prove guilt of an accused, notwithstanding acquittal of a number of other co-accused persons, his conviction can be maintained. It is the duty of the Court to separate the grain from the chaff. Where the chaff can be separated from the grain, it would be open to the Court to convict an accused notwithstanding the fact that evidence has been found to be deficient to prove guilt of other accused persons. Falsity of a particular material witness or material particular would not ruin it from the beginning to end. The maxim *falsus in uno falsus in omnibus* has no application in India and the witnesses cannot be branded as liars. The maxim *falsus in uno falsus in omnibus* has not received general acceptance nor has this maxim come to occupy the status of a rule of law. It is merely a rule of caution. All that it amounts to, is that in such cases testimony may be disregarded, and not that it must be disregarded. The doctrine merely involves the question of weight of evidence which a Court may apply in a given set of circumstances, but it is not what may be called

“a mandatory rule of evidence”. (*Nisar Ali v. State of U. P. AIR 1957 SC 366*). Merely because some of the accused persons have been acquitted, though evidence against all of them, so far as direct testimony went, was the same does not lead as a necessary corollary that those who have been convicted must also be acquitted. It is always open to a Court to differentiate accused who had been acquitted from those who were convicted. (*Gurcharan Singh v. State of Punjab AIR 1956 SC 460*). The doctrine is a dangerous one, specially in India for if a whole body of the testimony were to be rejected, because a witness was evidently speaking an untruth in some aspect, it is to be feared that administration of criminal justice would come to a deadstop. Witnesses just cannot help in giving embroidery to a story, however, true in the main. Therefore, it has to be appraised in each case as to what extent the evidence is worthy of acceptance, and merely because in some respects the Court considers the same to be insufficient for placing reliance on the testimony of a witness, it does not necessarily follow as a matter of law that it must be disregarded in all respects as well. The evidence has to be shifted with care. The aforesaid dictum is not a sound rule for the reason that one hardly comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or at any rate exaggeration, embroideries or embellishment. (*Sohrab v. State of M. P. 1972(3) SCC 751 and Ugar*

Ahir v. State of Bihar AIR 1965 SC 277). An attempt has to be made to, as noted above, in terms of the felicitous metaphor, separate the grain from the chaff, truth from falsehood. Where it is not feasible to separate truth from falsehood, because the grain and the chaff are inextricably mixed up, and in the process of separation an absolutely new case has to be reconstructed by divorcing essential details presented by the prosecution completely from the context and the background against which they are made, the only available course to be made is to discard the evidence in toto. (*Zwinglee Ariel v. State of M. P. AIR 1954 SC 15* and *Balaka Singh v. State of Punjab 1975(4) SCC 511*). As observed by this Court in *State of Rajasthan v. Kalki 1981(2) SCC 752* normal discrepancies in evidence are those which are due to normal errors of observation, normal errors of memory due to lapse of time, due to mental disposition such as shock and horror at the time of occurrence and those are always there, however honest and truthful a witness may be. Material discrepancies are those which are not normal, and not expected of a normal person. Courts have to label the category into which a discrepancy may be categorized. While normal discrepancies do not corrode the credibility of a party's case, material discrepancies do so. These aspects were highlighted recently in *Krishna Mochi v. State of Bihar 2002(6) SCC 81* and *Gangadhar Behera v. State of Orissa 2002(8) SCC 381*.

Accusations have been clearly established against the accused appellants in the case at hand. The Courts below have categorically indicated the distinguishing features in evidence so far as the acquitted and convicted accused are concerned.”

16. आगे वटुकुरु लक्ष्मैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2015 (11)
SCC 102 में यह प्रतिपादित किया है की-

“ 23. At this juncture, it is worthy to note that the High Court has acquitted A4, A8 and A9 on the foundation that they have been falsely implicated. Learned senior counsel for the appellants has contended that when the appellate court had acquitted the said accused persons, there was no warrant to sustain the conviction of other accused persons. On a perusal of the judgment of appellate court, we find that the judgment of acquittal has been recorded on the score that the names of A8 and A9 do not find mention in the evidence of PWs 1 to 3. On a similar basis, A4 has been acquitted. Suffice it to mention here because the High Court has acquitted A4, A8 and A9, that would not be a ground to discard the otherwise reliable dying

declaration, for the evidence in entirety vividly show the involvement of the appellant accused.”

17. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क में कोई सार नहीं है की बरामदगी को किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा साबित नहीं किया गया है क्योंकि स्वतंत्र गवाह के आभाव में बरामदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जबतक विपरीत साबित न हो । ऐसा कोई कानून नहीं है की पुलिस द्वारा ली गयी साक्ष्य जब तक स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं हैं स्वीकृति के अयोग्य है या पुलिस की साक्ष्य की अवहेलना की जा सकती है।

18. न्यायिक निर्णय हरि किशन (सुप्रा) और अरशद हुसैन (सुप्रा) जिन पर विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा किया है किसी सहायता के योग्य नहीं है क्योंकि पहले निर्णय में घटना के समय पर गंभीर विवाद है व वह चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी समर्थित नहीं है, यह निर्णय के पैराग्राफ 31 में उल्लिखित है जो निम्नानुसार है-

“ 31. Summing up the discussions made above, we have before us a case where a substantial part of the prosecution story has been disbelieved and the

conviction of the appellant rests solely on the testimony of Harkesh (PW 2) who does not seem to have particular respect for truth as observed by the trial court. His credibility as an eyewitness lay only in that the trial court and the High Court assumed that he had received injuries in the same occurrence in which Dinesh was killed. As shown above that assumption does not appear to be very sound and is not borne out by the evidences on record. In such a situation, we find it highly unsafe to uphold and sustain the appellant's conviction for the offence of murder. To us, it appears that the prudent and safe course would be to give him the benefit of doubt.”

19. अरशद हुसैन के केस (सुप्रा) में, यह एक ऐसा मामला था जहां अभियोजन पक्ष ने उत्पत्ति और जिस तरीके से घटना घटी उस तथ्य को छुपाया है और इसका समर्थन इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति से भी नहीं किया गया और बहुत सारी विसंगतियां अभियोजन द्वारा स्थापित मामले में बतायी गयी जिसका विवरण अनुच्छेद 17 से 19 में संदर्भित किया गया है। इस कारण से गवाहों कि आंशिक बयान पर भरोसा किया गया है और जैसा कि पहले से ही देखा गया है,

वह इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर जांच किये जाने योग्य है ।

20. तत्काल मामले में, प्रत्यक्षदर्शी सुनील कुमार गोयल (PW13) का बयान, अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कारित की गई चोट , हथियार व मोटर साइकिल की बरामदगी और डॉ। भूपेश दयाल (PW6) का बयान और डॉ। रमेश चंद्र खटीक (PW7) का बयान की अपीलार्थी द्वारा करती की गयी सर की चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, अभियोजन के मामले की पुष्टि करती है व किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न नहीं करती तथा यह तथ्य संदेह से परे साबित है, आंशिक बयान जो संदेह किया गया है वह अभियोजन के पक्ष को हिला देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा बचाव के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता जो की हमारे द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया जा चुका है, अतः अस्वीकृति का हकदार है।

21. हमारे विचार में, अपील योग्यता से रहित है और खारिज की जाती है। अपीलार्थी बैल पर है। उसकी बैल रद्द की जाती है व उसको आत्मसमर्पण व शेष सजा भुगतने के लिए निर्देशित किया जाता है।

.....जस्टिस
(ए एम खानविलकर)

.....जस्टिस
अजय रस्तोगी

नई दिल्ली
फरवरी 15, 2019

डिस्क्लेमर- शाब्दिक भाषा में अनुवादित निर्णय मुकदमेबाज पक्षों के प्रतिबंधित उपयोग के लिए है जिससे वह उसकी भाषा को समझे, इसके आलावा अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के क्षेत्र में अंग्रेजी संस्करण ही उपयोगी होगा ।